श्री गोविंदराम सेकसरिया तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर

(अनुलग्नक-I)

कदाचार और अनुशासनहीनता के कृत्य

(सभी प्रकार के विद्यार्थियों के सन्दर्भ में)

1) संस्थान के किसी विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अपमानजनक या अन्यायपूर्ण व्यवहार (शारीरिक हिंसा/ दुर्व्यवहार/ हाथापाई) या अभद्र/ गलत/ अश्लील/ असहनीय टिप्पणी करना या गाली-गलौज, मानहानिकारक, अपमानजनक भाषा (मौखिक या लिखित) इत्यादि का प्रयोग करना।

2) सक्षम अधिकारी की पूर्व-अनुमति के बिना संस्थान परिसर में फ्रेशर्स वेलकम पार्टी, विदाई पार्टी, पिकनिक पार्टी, डिस्क जॉकी (डीजे) आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित करना। (शासकीय आदेशों के अनुसार रात 10:00 के बाद डीजे साउंड सिस्टम के उपयोग की अनुमति नहीं है।)

3) संस्थान परिसर में सिगरेट, तंबाकू, शराब, या अन्य मादक नशीले पदार्थों का सेवन करना या उन्हें अपने पास रखना, या नशे में पाया जाना।

4) संस्थान में यातायात की सामान्य आवाजाही को अवरुद्ध करना या बलपूर्वक रोकना, तीन लोगों का दुपहिया वाहन पर एक साथ बैठकर चलाना, तेज गति या लापरवाही से वाहन चलाना, सुरक्षा निर्देशों, पार्किंग नियमों, संस्थान के सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, छुट्टियों के दिनों में या आधिकारिक कार्य-अवधि के बाद संस्थान परिसर में अनधिकृत प्रवेश और आवाजाही आदि।

5) साइबर बदमाशी- किसी को जानबूझकर परेशान करने, धमकाने, या डराने के लिए ईमेल, एसएमएस, चैटरूम, मोबाइल फोन या सूचना प्रौद्योगिकी के अन्य रूपों का अनुचित उपयोग। साइबर बदमाशी में धमकी देना, भड़काऊ अपमान, समलैंगिकों को बदनाम करना और पीड़ित के संपर्क विवरण को गलत जगह या गलत व्यक्तियों को गलत इरादे और उपयोग के साथ साझा करना, पीड़ित के कंप्यूटर को वायरस से संक्रमित करने का प्रयास करना, और ईमेल इनबॉक्स को बकवास संदेशों से भरना जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं।

6) गलत इरादे से ऑडियो वीडियो या फोटोग्राफी की अनधिकृत रिकॉर्डिंग तथा उसका अनुचित उपयोग करना।

7) संस्थान परिसर में तथा इसके आसपास आचरण, उपस्थिती, पहनावे, या दिखावे आदि के रूप में अभद्र, अश्लील, असभ्य, या अशोभनीय व्यवहार का प्रदर्शन। सभी विद्यार्थियों को संस्थान की गरिमा के अनुरूप सामान्य औपचारिक वेशभूषा पहननी चाहिए।

8) किसी भी अश्लील या यौन व्यवहार से संबंधित सामग्री का उपयोग और साझा करना, जिसमें फोटोग्राफ, फिल्म आदि शामिल है, किसी भी रूप में, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो (अर्थात कंप्यूटर हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सीडी या डीवीडी डिस्क आदि में संग्रहित) इत्यादि।

9) संस्थान के इंटरनेट कनेक्शन और आईटी संरचना का उपयोग किसी पायरेटेड सामग्री को डाउनलोड करने, उसे तक पहुंचने या अवैध रूप से संग्रहित करने, या किसी अन्य नेटवर्क में हैकिंग करने, स्पैम ईमेल भेजना या कानून द्वारा निषिद्ध किसी अन्य समान कार्य के लिए करना।

10) संस्थान के संबंधित प्राधिकारी को सूचित किए बिना, संस्थान से पूर्व में उचित अनुमोदन लिए बिना बैंकों से शिक्षाऋण के अलावा किसी अन्य अनौपचारिक वित्तीय सहायता के लिए संस्थान के अधिकारिक ईमेल या जानकारी का उपयोग करना।

11) संस्थान को किसी भी तरह से गलत प्रमाण पत्र या गलत जानकारी प्रस्तुत करना।

12 जालसाजी करना, हस्ताक्षर, लेटरपैड, स्टैंप सील और अधिकारियों के ईमेल की नकल करना, पहचान-पत्र या किसी अन्य दस्तावेज से छेड़छाड़ करना, प्रतिरोपण करना, संस्थान की संपत्ति, प्रयोगशाला उपकरण, दस्तावेज और रिकॉर्ड का दुरुपयोग करना, पुस्तकों, पत्रिकाओं के पृष्ठों को फाड़ना या किसी भी तरह से नष्ट करना। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकालय की पुस्तकों, पत्रिकाओं, मैगजीन या किसी अन्य सामग्री की अनधिकृत फोटोकॉपी या कब्जा करना।

13) शैक्षणिक बेईमानी में संलिप्त होना, जिसमें धोखाधड़ी, जानबूझकर साहित्यिक चोरी, परीक्षा के दौरान गलत तरीके से सहायता देना या प्राप्त करना तथा गलत तरीके से परीक्षा कॉपी या अंक प्राप्त करना शामिल है ।

14) संस्थान के कार्यक्रम और शैक्षणिक तथा सामाजिक आयोजनों के दौरान अनुचित व्यवहार में शामिल होना या उसमें भाग लेना। इसमें गुंडागर्दी, नारेबाजी, हूटिंग, जोरों से हंसना या चिल्लाना आदि, किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना शामिल है।

15) आपत्तिजनक पोस्टर साझा करना या चिपकाना या पंपलेट हैड्आउट, लीफ़लेट आदि वितरित करना या दीवारों पर विकृत अशोभनीय चित्र चित्रित करना और संस्थान भवन की संपत्ति को विकृत करना इत्यादि।

16) छात्रावास के कमरे पर अनधिकृत कब्जा करना या अपने छात्रावास के कमरे या संस्थान के अन्य फर्नीचर का अनाधिकृत अधिग्रहण और उपयोग करना तथा छात्रावास में लिखित अनुमति के बिना अनाधिकृत अतिथियों या अन्य व्यक्ति को ठहराना।

17) अनुपयुक्त एवं अनाधिकृत रूप से दीवार फिक्सर, मॉडल, पोस्टर, चार्ट या नोटिस आदि चिपकाने या फेंकने से संस्थान की स्वच्छता को नुकसान पहुंचाना।

18) बिना अनुमति के आधिकारिक कार्य-अवधि के दौरान खेल के मैदानों, सड़कों, उद्यानों, इंडोर हॉल आदि में खेलना।

19) संस्थान से संबंधित किसी भी जानकारी का दुरुपयोग, झूठी अफवाह फैलाना, संस्थान प्रशासन को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना जिसमें प्रवेश, परीक्षा, नौकरी-भर्ती आदि शामिल हैं।

20) संस्थान प्रशासन प्रणाली या उसके कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें, दोष या आरोप लगाना और आधारहीन शिकायत दर्ज करना, जिससे संस्थान, विभाग या कर्मचारी की बदनामी या मानहानि हो सकती है।

21) अवैध हथियार (जैसे चाकू, लाठी, धातु के चैन या रॉड, लाठियां, आतिशबाजी का सामान, पिस्टल बंदूक आदि) और अन्य विस्फोटक सामग्री रखना और उनका उपयोग करना।

22) छात्रों में सांप्रदायिक, जातिगत या क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काना या फैलाना, या आपसी असामंजस्य या अशांति पैदा करना।

23) व्यक्तिगत अथवा समूह लाभ के लिए संस्थान के विभाग, कर्मचारी, या अधिकारियों पर अनुचित राजनीतिक या गैर-राजनीतिक या अन्य कोई प्रभाव डालने का प्रयास करना।

24) संस्थान की किसी भी संपत्ति, या संस्थान समुदाय के किसी भी सदस्य की संपत्ति को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाना या विकृत करना ।

25) परिसर के अंदर या आसपास हिंसा के सभी कृत्य तथा सभी प्रकार की धमकी या विरोध जैसे घेराव, प्रदर्शन, भूख-हड़ताल, धरना, समूह सौदेबाजी आदि जो सामान्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज को बाधित करते हैं, या अन्य कोई भी कार्य जो अशांति या हिंसा को उकसाता है।

26) प्रोक्टोरियल सेल या संस्थान प्राधिकारी के किसी भी प्रकार के नोटिस, को अस्वीकार करना अथवा उसकी अनदेखी करना ।

27) कोई अन्य कार्य (जो उपरोक्त में शामिल नहीं है) इसे प्रोक्टोरियल सेल या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासन और आचरण का उल्लंघन माना जाए।

*****

श्री गोविंदराम सेकसरिया तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर

(अनुलग्नक-II)

कदाचार और अनुशासनहीनता के कृत्यों के लिए दंड

प्रोक्टोरियल सेल या संस्थान के सक्षम प्राधिकारी, अनुशासनहीनता या कदाचार के किसी भी कृत्य की गंभीरता के आधार पर विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से एक या अधिक दंड दे सकते हैं।

1) माता-पिता या अभिभावक को आधिकारिक सूचना और चेतावनी।

2) आर्थिक जुर्माना।

3) संस्थान को हुई वित्तीय हानि की वसूली।

4) संस्थान से निर्धारित अवधि के लिए निलंबन।

5) किसी भी छात्र क्लब, समितियां या किसी भी छात्र गतिविधि में भाग लेने से रोकना।

6) छात्र क्लब/ सोसाइटियों या संस्थान समितियों की सदस्यता या पद धारण करने से वंचित करना।

7) सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से रोकना।

8) पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, विभाग, संस्थान परिसर आदि में प्रवेश से वंचित करना।

9) किसी भी छात्रवृत्ति, फैलोशिप या किसी अन्य वित्तीय सहायता का निलंबन या रद्दीकरण।

10) पदक, डिग्री, प्रमाण पत्र वापस लेना या उनको रद्द करना।

11) वांछित कानूनी या पुलिस कार्यवाही।

12) अच्छे चरित्र प्रमाण पत्र को रोकना।

13) परीक्षा परिणाम रोकना।

14) प्रशिक्षण और प्लेसमेंट गतिविधियों में भागीदारी से रोकना या निलंबित करना।

15) संस्थान और छात्रावास से निष्कासन।

नोट: अनुशासनहीनता की गंभीरता के आधार पर एक से अधिक दंड एक साथ लगाये जा सकते हैं।

*****

श्री गोविंदराम सेकसरिया तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर

प्रॉक्टोरियल सेल की गतिविधियों की प्रक्रिया

संस्थान के सभी विद्यार्थियों की शिक्षण प्रक्रिया के लिए अनुशासन बनाए रखने, सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रॉक्टोरियल सेल जिम्मेदार है। प्रॉक्टोरियल सेल को इन कदाचार और अनुशासनहीनता के कृत्यों को शामिल करने या संशोधित करने का अधिकार है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर दंडस्वरुप अनुशासनात्मक कार्रवाई के अन्य उपायों को भी शामिल करने या संशोधित करने का भी अधिकार है।

1. इसकी भूमिका में अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट कदाचार और अनुशासनहीनता के कृत्यों की जांच करना और उनका समाधान करना, अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई को लागू करना और सकारात्मक और समावेशी परिसर समुदाय को बढ़ावा देना शामिल है।

2. मुख्य प्रॉक्टर द्वारा निर्देशित दंड तत्काल प्रभावी होंगे। हालांकि, प्रॉक्टोरियल सेल को दो दिनों के भीतर साधारण बहुमत से इसकी पुष्टि करनी होगी। इसके अलावा, संबंधित समिति (अनुशासन समिति या एंटी-रैगिंग समिति), जैसा भी मामला हो, को संबंधित मामले पर विचार करना होगा और मुख्य प्रॉक्टर द्वारा दी गई सजा पर अपना निर्णय करना होगा।

3. संबंधित प्रभावित छात्र प्रॉक्टोरियल सेल के निर्णय के विरुद्ध संस्थान की स्थायी समिति में अपील कर सकता है, जो दंड में आंशिक या पूर्ण छूट दे सकती है।

*****

श्री गोविंदराम सेकसरिया तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर

उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या को रोकने के लिए यूजीसी एवं एआईसीटीई विनियम 2009 के निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु विद्यार्थियों द्वारा ध्यान में रखे जाने चाहिए:

जब कोई विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कृत्यों में शामिल होता है तो उसे रैगिंग का कृत्य माना जाता है।

1) किसी भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा यह किसी ऐसे कृति द्वारा कोई आचरण, इसका प्रभाव किसी नए विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी को चिढ़ाने, उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करने या उसके साथ असभ्य व्यवहार करने के रूप में पढ़ता हो ।

2) किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होना जिससे किसी नए या किसी अन्य विद्यार्थी को परेशानी, कठिनाई, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान हो या डर या आशंका पैदा हो।

3) किसी विद्यार्थी को ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो वह विद्यार्थी सामान्यतः नहीं करेगा, तथा जिससे उसे शर्म, पीड़ा या परेशानी का एहसास उत्पन्न हो, तथा जिससे ऐसे नए या किसी अन्य विद्यार्थी के शरीर या मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

4) किसी वरिष्ठ विद्यार्थी द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य विद्यार्थी या नए विद्यार्थी की नियमित शैक्षणिक गतिविधि को बाधित या विचलित करता हो।

5) किसी व्यक्ति या विद्यार्थियों के समूह को सौंपे गए शैक्षणिक कार्य को पूरा करने के लिए किसी नए या किसी अन्य विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग करना।

6) किसी नए या किसी अन्य विद्यार्थी पर विद्यार्थियों द्वारा जबरन आर्थिक वसूली या जबरन व्यय का बोझ डालना।

7) शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई भी कार्य इसके लिए सभी प्रकार के कार्य जेसे यौन-दुर्व्यवहार, समलैंगिक हमले, कपड़े उतारना, अश्लील एवं कामुक कार्य करने के लिए मजबूर करना, इशारे, शारीरिक नुकसान पहुंचाना, या स्वास्थ्य, या व्यक्ति को कोई अन्य खतरा/क्षति पहुंचाना।

8) मौखिक शब्दों, ईमेल, पोस्ट, सार्वजनिक अपमान द्वारा कोई भी कृत्य या दुर्व्यवहार, जिसमें नए या अन्य विद्यार्थियों को असुविधा पहुंचाने में सक्रिय या निष्क्रिय रूप से भाग लेने से विकृत आनंद, अप्रत्यक्ष, या परपीड़ित रोमांच प्राप्त करना भी शामिल है।

9) कोई भी कार्य जो किसी नए या किसी अन्य विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता हो, चाहे उसका उद्देश्य परपीड़क आनंद प्राप्त करना हो, या किसी नए या किसी अन्य विद्यार्थी पर अपनी शक्ति, अधिकार, या श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना हो।

*****